

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.6(7)राज.-6/1995/24

जयपुर, दिनांक :- 27.9.2011

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा-20 (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परिधीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक:1(3)कार्मिक/क-4/10 दिनांक 28.06.2011 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण पर) पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	जिला जिसमें पदस्थापित किया है।
1.	कृष्णा देवी	कोटा
2.	चंचल वर्मा	जालोर
3.	प्रतिष्ठा पिलानिया	अटावर
4.	मोहन दान रतनू	सवाई माधोपुर
5.	राकेश कुमार	बाडमेर
6.	बलदेव प्रसाद शर्मा	डूंगरपुर
7.	सुनीता मीणा	पाली
8.	सुनीता वर्मा	सीकर
9.	ओम प्रकाश	झालावाड़
10.	चेतन चौहान	धौलपुर
11.	मुकेश कुमार मीणा	सिरोही
12.	राम रतन सौकरिया	बांसवाडा
13.	अभिषेक सिंह	भरतपुर
14.	अखिलेश कुमार पिंपल	बारा

राज्यपाल की आज्ञा से,
(मोहन लाल नेहरा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.9.2011 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

(मोहन लाल नेहरा)
शासन उप सचिव